न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व वाद पत्र संख्या– 112/2017

वादी :– **बनाम** **प्रतिवादी :–**

प्रधानाध्यापक
रा.उ.प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा
तहसील पीपाड़ शहर

तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक : 12.10.2017

वादी प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट पेश किया हैं कि स्थानिय विद्यालय की जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2065 से 2068 में खाता सं. 1812 में स्थित राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशाला जोशी फार्म आई हुई हैं । उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होकर रा.उ.प्रा. विद्यालय जोशी फार्म बोरून्दा हो गया है। अतः राजस्व रेकर्ड में राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशाला जोशी फार्म के स्थान पर रा.उ.प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा कराने का निवेदन किया है।

हमने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पीपाड़ शहर से जबाब प्राप्त किया जिन्होने बताया कि रा,प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा के स्थान पर रा.उ.प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं ।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोरून्दा के खाता सं. 1812 में अंकित रा,प्रा.वि. जोशी फार्म बोरून्दा के स्थान पर रा.उ.प्रा. विद्यालय जोशी फार्म बोरून्दा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 12.10.2017 को खुले न्यायालय लोक अदालत में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर